न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 17 / 2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2019 / 00877
दायर दिनांक :– 16.01.2019 **निर्णय दिनांक :–** 25.04.2025

1. राधाकिशन पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. रामचन्द्र पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. देवीचन्द पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. शान्ति पुत्री फोजाराम जाति गर्ग निवासी छीला तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. टीपू पुत्री फोजाराम जाति गर्ग निवासी शेखासर तहसील फलोदी जिला फलोदी

वादीगण.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. अधीक्षण अभियंता खान एवं भू–संरक्षण विभाग बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादीगण की एक खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 333मि. में से रकबा 30–00 बीघा भूमि आई हुई है। खसरा नम्बर 333 वक्त सेटलमेंट के समय रकबा 2755–18 बीघा भूमि का आया हुआ था, जिसमें से वादीगण को दिनांक 15.05.1976 को सहायक जिलाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी सिलिंग जोधपुर राजस्थान द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधित) अधिनियम 1973 की धारा 20 'अ' के अधीन ग्राम जैमला की सरहद में खसरा नम्बर 333मि. मे से रकबा 30–00 बीघा भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया था। वादीगण को उक्त आवंटन के पश्चात खसरा नम्बर 333मि. में से 30–00 बीघा भूमि पर कब्जा करवा दिया गया था। आवंटन व कब्जे के बाद से लेकर वादीगण का लगातार उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वर्तमान समय में वादीगण द्वारा अपनी आंवटन सुदा कृषि भूमि में रहवासीय ढाणी व पानी का टांका बनाया हुआ है। बाद आवंटन से ही वादीगण खसरा नम्बर 333मि. में से 30–00 बीघा का खातेदार काश्तकार हो गया है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

होने पर एव पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त का कोई अभिलेख साक्ष्य पेश किया गया फलतः प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौके पर फौजाराम क वारिसों का कब्जा पाया गया जिसमें तारबंदी व खूंटे तथा कच्चा पड़वा बना हुआ है जिसका रकबा लगभग 30–00 बीघा है जो खनिज विभाग के अधीन भूमि है।

प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात निम्नानुसार कायम की गयी।

1. आया वादीगण ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 333 रकबा 30–00 बीघा भूमि आवंटन आदेश अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है?

(जिम्मे वादीगण)

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण सरकारी भूमि में अतिकमी है जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है। वादी का वाद काबिल खारिज के है?

(जिम्मे प्रति. सं. 1)

3. दादरसी?

वादी संख्या 1 अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण के पड़ोसी खातेदार नेनाराम पुत्र उदाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश, वर्तमान जमाबंदी, पैरोकार सरकार का जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1 आया वादीगण ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 333 रकबा 30–00 बीघा भूमि आवंटन आदेश अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है?

जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 1 निर्णय इस प्रकार है ग्राम राणेरी के खसरा नम्बर 333 रकबा 30–00 बीघा भूमि वादीगण को आवंटन हुई थी। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जो जमाबंदी से साबित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खनिज विभाग के नाम दर्ज है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण सरकारी भूमि में अतिकमी है जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है। वादी का वाद काबिल खारिज के है ?

जिम्मे प्रति. सं. 1

तनकी नम्बर 2 का निर्णय इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर वादीगण अतिकमी की हैसियत से काबिज है। तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित हो चुकी है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादग्रस्त भूमि ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 333 में से 30–00 बीघा भूमि का आवंटन वादी को हुआ जो आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति से साबित है परन्तु पटवारी हल्का की मौका फर्द में उक्त भूमि खनिज विभाग के अधीन होने का कथन किया है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने का कोई अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. राधाकिशन पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. रामचन्द्र पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. देवीचन्द पुत्र फोजाराम जाति गर्ग निवासी बावड़ीकला तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. शान्ति पुत्री फोजाराम जाति गर्ग निवासी छीला तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. टीपू पुत्री फोजाराम जाति गर्ग निवासी शेखासर तहसील फलोदी जिला फलोदी

वादीगण.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. अधीक्षण अभियंता खान एवं भू–संरक्षण विभाग बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 17/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.04.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।